

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 33/17 वाद पत्र.

उनवान

1-धनराज पिता रामचन्द्र ब्राहमण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

- 1-बख्तावर पिता चन्द्रा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-नारायण पिता छोगा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-सम्पत पिता छोगा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-सीताराम पिता बालु लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-भैरूलाल पिता बालु लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 6-बैंक ऑफ बडोदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहोली तहसील रायपुर
- 7-ग्राम सेवा सहकारी समिती नाथडियास तहसील रायपुर
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादी

दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 375 रकबा 0.62 है0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 378 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 379 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, आराजी संख्या 384 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 386 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 387 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 388 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 389 रकबा 0.20 है0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 2.59 है0 भूमि खाता संख्या 168 पर स्थित है। जिसमे वादि का 3/6 हिस्सा तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.06.2018 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी

डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की आराजी संख्या 375 रकबा 0.62 है0, 377 रकबा 0.18 है0, 378 रकबा 0.28 है0 384/1 रकबा 0.11 है0 385/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 धनराज पिता रामचन्द्र ब्राह्मण सा0देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली आराजी न0 384/2 रकबा 0.12 है0, 385/2 रकबा 0.10 है0, 386 रकबा 0.23 है0 387 रकबा 0.26 है0 388 रकबा 0.35 है0 389 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 है0 बगतावर पिता चन्द्रा, नारायण सम्पत पिता छोगा 2/3 सीताराम, भैरूलाल पिता बालु 1/3 लौहार सा0देह रहन बीओबी आशाहोली हिस्सा नारायण सम्पत रहन जीएसएस नाथड़ियास हिस्सा सीताराम आराजी नम्बर 376 रकबा 0.05, 379 रकबा 0.02 है0गै0मु0आ0चा0 किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 सामलाती पूर्ववत बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।



गोविन्द सिंह

आर.ए.एस

सहायककलक्टर(उपखण्डअधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



सहायककलक्टर

(उपखण्डअधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:-श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 33/17 वाद पत्र.

उनवान

1-धनराज पिता रामचन्द्र ब्राहमण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

- 1-बख्तावर पिता चन्द्रा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-नारायण पिता छोगा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-सम्पत पिता छोगा लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-सीताराम पिता बालु लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-भैरूलाल पिता बालु लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 6-बैंक ऑफ बडोदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहोली तहसील रायपुर
- 7-ग्राम सेवा सहकारी समिती नाथडियास तहसील रायपुर
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर की आराजी संख्या 375 रकबा 0.62 है0, 377 रकबा 0.18 है0, 378 रकबा 0.28 है0 384/1 रकबा 0.11 है0 385/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 धनराज पिता रामचन्द्र ब्राहमण सा०देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली आराजी न० 384/2 रकबा 0.12 है0, 385/2 रकबा 0.10 है0, 386 रकबा 0.23 है0 387 रकबा 0.26 है0 388 रकबा 0.35 है0 389 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 है0 बगतावर पिता चन्द्रा, नारायण सम्पत पिता छोगा 2/3 सीताराम, भैरूलाल पिता बालु 1/3 लौहार सा०देह रहन बीओबी आशाहोली हिस्सा नारायण सम्पत रहन जीएसएस नाथडियास हिस्सा सीताराम आराजी नम्बर 376 रकबा 0.05, 379 रकबा 0.02 है0गै०मु०आ०चा० किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 सामलाती पूर्ववत बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 28.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा